# राजस्थान सरकार
## श्रम विभाग

क्रमांकः–एफ.14(13)(1)चुनाव / श्रम / विधि / 2015 / पार्ट–1 / 2669 जयपुर, दिनांकः 01.02.2022

## आदेश

भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के विधानसभा आम चुनाव–2022 कार्यक्रम की घोषणा कर मतदान की तिथि दिनांक 10.02.2022, 14.02.2022, 20.02.2022, 23.02.2022, 27.02.2022, 03.03.2022, 07.03.2022 निश्चित की गई है। (कार्यक्रम की प्रति संलग्न है)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135(ख) के अनुसार मतदान के दिन किसी कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य स्थापन में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को, जो लोकसभा / विधान सभा के लिए निर्वाचन में मतदान करने का हकदार है, को मतदान के दिन सवैतनिक अवकाश मंजूर किया जावेगा।

धारा 135 ख निम्न उद्धृत है:–

"135 ख– मतदान के दिन कर्मचारियों को सवेतन अवकाश की मंजूरी–

(1) किसी कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम अथवा अन्य किसी स्थापन में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को, जो लोकसभा या किसी राज्य की विधान सभा के लिए निर्वाचन में मतदान करने का हकदार है, मतदान के दिन अवकाश मंजूर किया जावेगा।

(2) उपधारा (1) के अनुसार अवकाश मंजूर किए जाने के कारण किसी ऐसे व्यक्ति की मजदूरी से कोई कटौती या उसमें कोई कमी नहीं की जाएगी और यदि ऐसा व्यक्ति इस आधार पर नियोजित किया जाता है कि उसे सामान्यतया किसी ऐसे दिन के लिए मजदूरी प्राप्त नहीं होगी तो इस बात के होते हुए भी, उसके ऐसे दिन के लिए वह मजदूरी संदत्त की जाएगी, जो उस दिन उसे अवकाश मंजूर न किए जाने की दशा में दी गई होती ।

(3) यदि कोई नियोजन उपधारा (1) या उपधारा (2) के उपबन्धों का उल्लंघन करेगा, तो ऐसा नियोजन जुर्माने से, जो 500/–तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

(4) यह धारा किसी ऐसे निर्वाचक को लागू नहीं होगी जिसकी अनुपस्थिति से उस नियोजन के सम्बन्ध में जिसमें वह लगा हुआ है, कोई खतरा या सारवान हानि हो सकती है।"

अतः उत्तर प्रदेश राज्य के विधानसभा आम चुनाव–2022 में उत्तर प्रदेश राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के निजी औद्योगिक संस्थानों एवं राजकीय उपक्रमों के मतदाताओं तथा सम्पूर्ण राजस्थान राज्य के समस्त जिलों के ऐसे कार्मिक जो उत्तरप्रदेश राज्य की विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के पंजीकृत मतदाता है, उन्हें उनके क्षेत्र में 'मतदान दिवस' दिनांक 10.02.2022, 14.02.2022, 20.02.2022, 23.02.2022, 27.02.2022, 03.03.2022, 07.03.2022 के लिए उनके संस्थान में कार्यरत सभी कामगारों को, जिनमें आकस्मिक कामगार भी सम्मिलित है, सवैतनिक अवकाश प्रदान करने हेतु विनिर्दिष्ट करती है ताकि उनके द्वारा मतदान के अधिकार का स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।

अतिरिक्त श्रम आयुक्त एवं
पदेन संयुक्त शासन सचिव
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक –एफ 14(13)(1)चुनाव / श्रम / वि0 / 2015 / पार्ट–1 / 2670–746 जयपुर, दिनांक 01.02.2022

**प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –**

1– मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान शासन सचिवालय, जयपुर को उनके अ.शा.टीप क्रमांक प 8(2)(30)निर्वा / 2017 / 313 दिनांक 22.01.2022 के क्रम मे।

2– निजी सचिव, शासन सचिव, श्रम एव नियोजन विभाग, राजस्थान, जयपुर ।

3– सयुक्त शासन सचिव, श्रम एव नियोजन विभाग, राजस्थान जयपुर

4– निजी सचिव, श्रम आयुक्त, राजस्थान, जयपुर ।

5– जिला कलेक्टर (समस्त)

6– सयुक्त श्रम आयुक्त / उप श्रम आयुक्त / सहायक श्रम आयुक्त / श्रम कल्याण अधिकारी (समस्त) को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वे क्षेत्र के सम्बन्धित सस्थानो के नियोजकों को, उनके सगटनो तथा प्रेस विज्ञप्ति आदि साधनों के माध्यम से अवगत करावें। श्रमिकों के सगटनो को भी अवगत करावें तथा नियोजकों द्वारा अनुपालना सुनिश्चित करावें।

यदि कोई नियोजक उक्त प्रावधानों की अवहेलना करते हुए मतदान के दिन कर्मचारी को मताधिकार का उपयोग करने हेतु अवकाश नहीं देता है तो इसके लिए दण्डात्मक कार्यवाही हेतु सम्बन्धित रिटर्निंग अधिकारी / जिला निर्वाचन अधिकारी को तथ्यात्मक विवरण देते हुए अवगत कराया जा सकता है।

7– गार्ड पत्रावली।

1/2/22

सयुक्त श्रम आयुक्त (विधि)

राज0, जयपुर।

## राजस्थान सरकार
## श्रम विभाग

क्रमांकः–एफ.14(13)(1)चुनाव/श्रम/विधि/2015/पार्ट–1/2591 जयपुर, दिनांकः 01.02.2022

# आदेश

भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली द्वारा पंजाब राज्य के विधानसभा आम चुनाव–2022 कार्यक्रम की घोषणा कर मतदान की तिथि दिनांक 20.02.2022 निश्चित की गई है। (कार्यक्रम की प्रति संलग्न है)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135(ख) के अनुसार मतदान के दिन किसी कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपकम या किसी अन्य स्थापन में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को, जो लोकसभा/विधान सभा के लिए निर्वाचन में मतदान करने का हकदार है, को मतदान के दिन सवैतनिक अवकाश मंजूर किया जावेगा।

धारा 135 ख निम्न उद्धृत है:–

"<u>135 ख– मतदान के दिन कर्मचारियों को संवेतन अवकाश की मंजूरी–</u>

(1) किसी कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपकम अथवा अन्य किसी स्थापन में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को, जो लोकसभा या किसी राज्य की विधान सभा के लिए निर्वाचन में मतदान करने का हकदार है, मतदान के दिन अवकाश मंजूर किया जावेगा।

(2) उपधारा (1) के अनुसार अवकाश मंजूर किए जाने के कारण किसी ऐसे व्यक्ति की मजदूरी से कोई कटौती या उसमें कोई कमी नहीं की जाएगी और यदि ऐसा व्यक्ति इस आधार पर नियोजित किया जाता है कि उसे सामान्यतया किसी ऐसे दिन के लिए मजदूरी प्राप्त नहीं होगी तो इस बात के होते हुए भी, उसके ऐसे दिन के लिए वह मजदूरी संदत्त की जाएगी, जो उस दिन उसे अवकाश मंजूर न किए जाने की दशा में दी गई होती ।

(3) यदि कोई नियोजन उपधारा (1) या उपधारा (2) के उपबन्धों का उल्लंघन करेगा, तो ऐसा नियोजन जुर्माने से, जो 500/–तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

(4) यह धारा किसी ऐसे निर्वाचक को लागू नहीं होगी जिसकी अनुपस्थिति से उस नियोजन के सम्बन्ध में जिसमें वह लगा हुआ है, कोई खतरा या सारवान हानि हो सकती है।"

अतः पंजाब राज्य के विधानसभा आम चुनाव–2022 में पंजाब राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के निजी औद्योगिक संस्थानों एवं राजकीय उपक्रमों के मतदाताओं तथा सम्पूर्ण राजस्थान राज्य के समस्त जिलों के ऐसे कार्मिक जो पंजाब राज्य की विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के पंजीकृत मतदाता है, उन्हें उनके क्षेत्र में 'मतदान दिवस' दिनांक **20.02.2022**, के लिए उनके संस्थान में कार्यरत सभी कामगारों को, जिनमें आकस्मिक कामगार भी सम्मिलित है, सवैतनिक अवकाश प्रदान करने हेतु विनिर्दिष्ट करती है ताकि उनके द्वारा मतदान के अधिकार का स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।

अतिरिक्त श्रम आयुक्त एवं
पदेन संयुक्त शासन सचिव
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांकः–एफ.14(13)(1)चुनाव/श्रम/वि0/2015/पार्ट–1/2592-668 जयपुर, दिनांकः 01.02.2022

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1– मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान शासन सचिवालय, जयपुर को उनके अ.शा.टीप कमांक प. 8(2)(30)निर्वा./2017/289 दिनांक 21.01.2022 के कम में।

2– निजी सचिव, शासन सचिव, श्रम एवं नियोजन विभाग, राजस्थान, जयपुर ।

3– संयुक्त शासन सचिव, श्रम एवं नियोजन विभाग, राजस्थान जयपुर

4– निजी सचिव, श्रम आयुक्त, राजस्थान, जयपुर ।

5– जिला कलेक्टर (समस्त)

6– संयुक्त श्रम आयुक्त/ उप श्रम आयुक्त/ सहायक श्रम आयुक्त/ श्रम कल्याण अधिकारी........ (समस्त) को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वे क्षेत्र के सम्बन्धित संस्थानों के नियोजकों को उनके संगठनों तथा प्रेस विज्ञप्ति आदि साधनों के माध्यम से अवगत करावें। श्रमिकों के संगठनों को भी अवगत करावें तथा नियोजकों द्वारा अनुपालना सुनिश्चित करावें।

यदि कोई नियोजक उक्त प्रावधानों की अवहेलना करते हुए मतदान के दिन कर्मचारी को मताधिकार का उपयोग करने हेतु अवकाश नहीं देता है तो इसके लिए दण्डात्मक कार्यवाही हेतु सम्बन्धित रिटर्निंग अधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी को तथ्यात्मक विवरण देतें हुए अवगत कराया जा सकता है।

7– गार्ड पत्रावली।

संयुक्त श्रम आयुक्त (विधि)

राज0, जयपुर।